उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल
दिवस 7 जुलाई 2022
माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 481 सन् 2022

शैलेश कुमार जोशी व अन्य ...याचिकाकर्तागण

और

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ...उत्तरदातागण

याचिकाकर्तागण
(द्वारा श्री एम.सी. काण्डपाल एडवोकेट, श्री बी0डी0 पाण्डे, श्री हरीश सनवाल, श्री पूरन सिंह रावत, श्री हरिमोहन भाटिया, श्री करन आनन्द, श्री पंकज कपिल, श्री दुष्यंत मनाली, श्री डी0पी0 मित्तल, श्री मनीष लाहोनी, श्री प्रणव सिंह, श्री रजत मित्तल, श्री पी पी भट्ट, दीपा आर्या, श्री संदीप तिवारी एवं मतलूब एडवोकेट)
उत्तरदातागण–
(द्वारा श्री पी0सी0 बिष्ट व अन्य मय वी एस रावत और श्री आशीष जोशी, विद्वान अधिवक्ता उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग।

मय
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 410 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 417 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 482 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 498 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 499 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 506 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 462 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 610 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 617 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 634 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 638 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 641 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 648 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 649 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 650 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 652 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 655 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 657 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 672 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 675 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 677 सन् 2022

रिट याचिका (एस/एस) संख्या 681 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 703 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 718 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 731 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 748 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 765 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 831 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 927 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 1146 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 1175 सन् 2022
रिट याचिका (एस/एस) संख्या 638 सन् 2022

निर्णय

1. दिनांक 09.08.2021 को, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (इसके बाद ''कमीशन 2'' के रूप में संदर्भित) ने संयुक्त राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। चयन प्रक्रिया में (i) प्रारंभिक परीक्षा, (ii) मुख्य परीक्षा और (iii) साक्षात्कार शामिल थी।

2. याचिकाकर्तागण द्वारा उक्त विज्ञापन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्हें 12.12.2021 को आयोजिक प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गयी थी। चूंकि याचिकाकर्ता प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके, इसलिए वे इस न्यायालय के समक्ष 12 प्रश्नों के संबंध में सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक देने के लिए आयोग द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती दे रहे हैं, जो गलत पाए गए थे।

3. चूंकि तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न इन याचिकाओं में शामिल है, इसलिए ये याचिकाएं एक साथ क्लब की गयी हैं और उन्हें साथ में सुना और तय किया जा रहा है। हालांकि, संक्षिप्तता और सुविधा के लिए 2022 के डब्ल्यूपीएसएस संख्या 481 के तथ्यों पर विचार किया जा रहा है।

4. 2022 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 481 दो व्यक्तियों द्व ारा दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित राहत की मांग की गई हैः–

(i) मामले के रिकॉर्ड की मांग करने और प्रतिवादियों के दिनांक 10.02.2022 और 24.02.2022 के विवादित निर्णय को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जहां तक यह 12 प्रश्नों के लिए बोनस अंक देने और कट ऑफ अंक फिक्सिंग करने से संबंधित है।

(ii) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश, जो उत्तरदाताओं को बोनस अंक और 12 प्रश्नों को छोड़कर कट–ऑफ अंक को फिर से तय करने का आदेश देता है और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को आगे की परीक्षा में भाग लेने और तदनुसार परिणाम घोषित करने की अनुमति देता है।

5. याचिकाकर्ताओं ने आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के जवाब में संयुक्त राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021 के लिए आवेदन किया था और उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए और क्रमशः

103.75 और 103.50 अंक प्राप्त किए।

6. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण के हकदार थे और उक्त श्रेणी के लिए प्रारंभिक परीक्षा में कट–ऑफ अंक 105 थे। प्रारंभिक परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य थे; हालांकि इन प्रश्नों को प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेटों में पुर्नर्व्यवस्थित किया गया था। याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला 'सी' दी गई थी, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 को प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला 'ए' दी गई थी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद, आयोग के वेब–पोर्टल में विभिन्न प्रश्न पुस्तिका श्रृंखलाओं की अन्तिम उत्तर कुंजी अपलोड की गई थी और उम्मीदवारों को बताया गया था कि वह उत्तर कुंजी में 'सही' के रूप में दिखाए गए गलत प्रश्न या गलत उत्तर के खिलाफ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई।

7. याचिकाकर्ताओं ने आयोग द्वारा लिए गए उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें कुछ प्रश्नों के संबंध में बोनस अंक देने का निर्णय लिया गया था और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए गये थे, जिन्हें उत्तर कुंजी में 'सही' दिखाया गया था।

8. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यदि सभी उम्मीदवारों को 12 बोनस अंक देने का फैसला नहीं किया जाता तो सफल उम्मीदवारों की सूची में याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल होते। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला 'सी' में निर्धारित प्रश्न संख्या 91 को भी चुनौती दी है, जो निम्नानुसार हैः–

91. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या हैः

(क) 910 (ख) 940 (ग) 920 (घ) 980

9. यह तर्क दिया गया है कि विकल्प '(ख)' पूर्वोक्त प्रश्न का सही उत्तर देता है, और याचिकाकर्ता संख्या 1 ने उक्त प्रश्न के उत्तर में विकल्प '(ख)' को चिह्नित किया था, इसलिए, वह '1' अंक का हकदार था और कोई भी, जिसने उक्त प्रश्न का गलत उत्तर दिया था, –0.25 .25 अंक की सीमा तक ऋणात्मक अंक प्राप्त करता है)। हालाँकि, आक्षेपित निर्णय से, एक उम्मीदवार जिसने उक्त प्रश्न का गलत उत्तर दिया, वह भी '1' अंक का हकदार हो गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह अन्यायपूर्ण है और असमानों को समान मानने के बराबर है। बोनस अंक प्रदान करने के लिए के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि जिन 12 प्रश्नों को हटाने का निर्णय लिया गया था, उनमें से कोई भी गलत नहीं था और इन प्रश्नों को हटाने का निर्णय टिकाऊ नहीं है।

10. आयोग द्वारा जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उम्मीदवारों को चार विकल्पों में से किसी एक को चिन्हित करना था, जो उनके अनुसार सही उत्तर देता था, अनंतिम उत्तर कुंजी 30.12.2021 को घोषित की गई थी और 31.12.2021 को वेब पोर्टल में अपलोड की गई थी और उम्मीदवारों को बताया गया था कि वे प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी प्रश्न के संबंध में 06.01. 2022 को या उससे पहले आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आगे कहा गया है कि 48 प्रश्नों के संबंध में 1010 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिन्हें विशेषज्ञों की एक समिति को भेजा गया था। विशेषज्ञों की समिति ने आपत्तियों के

आलोक में प्रश्नों पर विचार किया और पाया कि 10 प्रश्न गलत हैं और 2 प्रश्नों के एक से अधिक सही उत्तर हैं। आयोग द्वारा दिनांक 28.01.2022 को आयोजित अपनी बैठक में विशेषज्ञ समिति की राय पर विचार एवं चर्चा की गई तथा निष्पक्षता बनाए रखने की दृष्टि से आयोग ने त्रुटिपूर्ण पाए गए 12 बोनस अंक देने का निर्णय लिया। सभी उम्मीदवारों से सवाल। यह आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज नहीं की थी, इसलिए, उन्हें इस अंतिम चरण में अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

11. जवाबी हलफनामे में यह भी कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है; मामले में रिट, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, सफल उम्मीदवार प्रभावित होने के लिए बाध्य है; और याचिकाकर्ताओं के तर्क को अगर स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे चयन प्रक्रिया में और देरी होगी। यह आगे तर्क दिया गया है कि सभी उम्मीदवारों को समान रूप से 12 बोनस अंक देने का निर्णय निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और यह किसी भी तरह की दुर्बलता या अवैधता से ग्रस्त नहीं है।

12. कुछ अन्य रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि सभी उम्मीदवारों को 12 बोनस अंक देने का निर्णय त्रुटिपूर्ण है, इसके बजाय आयोग को उम्मीदवारों को यथानुपात अंक देना चाहिए था, जो एक द्वारा किए गए प्रश्नों की संख्या पर निर्भर करता है। उम्मीदवार, उन 12 प्रश्नों में से आगे कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 12 में से केवल छह प्रश्नों के उत्तर गलत थे, इसलिए, आयोग द्वारा 12 प्रश्नों को हटाने और उन 12 प्रश्नों के संबंध में बोनस अंक प्रदान करना न्यायोचित नहीं था। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि सभी उम्मीदवारों को 12 बोनस अंक समान रूप से नहीं दिए जाने चाहिए थे और बोनस अंक केवल ऐसे उम्मीदवारों को दिए जाने चाहिए थे, जिन्होंने प्रश्नों की संख्या के आधार पर वास्तव में हटाए गये प्रश्नों का प्रयास किया था और प्रश्नों का उत्तर दिया था।

13. राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की विभिन्न लोक सेवाओं में नियुक्ति हेतु चयन करता है। चयन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के कारण सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करना एक बहुत बड़ी कवायद है। जनहित की मांग है कि चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में अनावश्यक देरी न हो।

14. आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि 12.12.2021 को हुई प्रारंभिक परीक्षा में 80000 से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करना है और मुख्य परीक्षा में, वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगने वाले समय/प्रयास के कारण, प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले सीमित उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है।

15. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक विषय विशेषज्ञ की भूमिका ग्रहण नहीं कर सकता है और यह निर्णय नहीं ले सकता है कि विषय विशेषज्ञ द्व ारा एक प्रश्न के उत्तर में 'सही' के रूप में माना गया विकल्प सही है या नहीं। इस प्रकार, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विषय विशेषज्ञों द्वारा लिए गये निर्णय पर अपील नहीं

कर सकता है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने एच.पी.लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर, (2010) 6 एससीसी 759 में रिपोर्ट किया गया है, निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः–

> ''20. उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के लिए प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की स्वयं जांच करने की अनुमति नहीं थी, विशेष रूप से, जब आयोग ने उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता का आकलन किया था। प्रश्न या उत्तर का मूल्यांकन, यह परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए हो सकता है और केवल उत्तरदाता 1 के लिए नहीं। यह संयोग की बात है कि उच्च न्यायालय कानून से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहा था। क्या यह अन्य विषय जैसे थे भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि क्या इस तरह के पाठ्यक्रम को उच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन किया जा सकता था। इसलिए, हमारा मानना है कि इस तरह के पाठ्यक्रम को उच्च न्यायालय की अनुमति नहीं थी।''

17. इस प्रकार, यह न्यायालय परीक्षक या चयन निकाय का कार्य अपने उपर नहीं ले सकता है और प्रश्न पत्रों और मूल्यांकन में विसंगतियों और विसंगतियों की जांच कर सकता है। यह बार–बार माना जाता है कि संवैधानिक न्यायालय को अकादमिक मामलों में विषय विशेषज्ञों की राय पर अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करने में बेहद अनिच्छुक होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम खुशबू श्री वास्तव और अन्य के मामले में, (2014) 14 एससीसी 523 में रिपोर्ट किया है, निम्नानुसार आयोजित किया हैः–

> ''11. हमारी सुविचारित राय में, न तो विद्वान एकल न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय की खंडपीठ परीक्षकों के विचार के स्थान पर अपने/अपने विचारों को प्रतिस्थापित कर सकती थी और शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी 1 को दो उत्तरों के लिए दो अतिरिक्त अंक प्रदान कर सकती थी। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के रूप में ये विशुद्ध रूप से अकादमिक मामले हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन परितोष भूपेश कुमार शेठ के इस न्यायालय ने देखा हैः
>
> > ''29. .... जो कि इस न्यायालय द्वारा बार–बार इंगित किया गया है, अदालत को अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करने के लिए बेहद अनिच्छुक होना चाहिए कि शैक्षणिक मामलों के संबंध में बुद्धिमान, विवेकपूर्ण और उचित क्या है, पेशेवर पुरुषों द्वारा तैयार किये गये विचारों की तुलना में। तकनीकी विशेषज्ञता और शैक्षिक संस्थानों और उन्हें नियंत्रित करने वाले विभागों के वास्तविक दिन–प्रतिदिन के

> कामकाज का समृद्ध अनुभव। अदालत अदालत के लिए यह पूरी तरह से गलत होगा कि वह वास्तविक वास्तविकताओं से अलग इस प्रकृति की समस्याओं के लिए एक पांडित्यपूर्ण और विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाए और प्रणाली के काम में शामिल जमीनी स्तर की समस्याएं और उन परिणामों के बारे में बेखबर जो एक व्यावहारिक के विपरीत विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किए जाने पर उत्पन्न होंगे।''

18. विकेश कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य (2021) 2 SCC 309 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्व ारा हाल ही में दिए गए एक फैसले में यह दोहराया गया है कि यह उच्च न्यायालय के लिए शुद्धता की जांच करने के लिए खुला नहीं है विशेषज्ञ समिति की राय से भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रश्न और उत्तर कुंजी। यह आगे कहा गया है कि सही उत्तर पर पहुंचने के लिए न्यायालय द्वारा स्वयं प्रश्नों का आकलन करने की अनुमति नहीं है। उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 13 से 17 नीचे दिये गये हैं :–

> ''13. इस न्यायालय के विचारों के लिए जो बिन्दु उठता है वह यह है कि क्या संशोधित चयन सूची दिनांक 21.05. 2019 को दूसरी उत्तर कुंजी के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए था। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि प्रतीक्षा सूची भी तैयान की जानी चाहिए। तीसरी उत्तर कुंजी के आधार पर न कि दूसरी कुंजी आरपीएससी द्वारा उच्च न्यायालय द्व ारा जारी निर्देशों के अनुसार गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जारी की गई थी। नहीं संशोधित चयन सूची से संतुष्ट होने पर, जिसमें केवल कुछ उम्मीदवार शामिल थे, कुछ असफल उम्मीदवारों ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जिसका निस्तारण दिनांक 12.03. 2019 को किया गया। दूसरी उत्तर कुंजी, इसने 17.09.2018 को तैयार की गई चयन सूची में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, खंडपीठ ने प्रश्नों की शुद्धता और उसमें अपीलकर्ताओं द्वारा बताई गई उत्तर कुंजियों की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उत्तर कुंजी उक्त निष्कर्षों के आधार पर 5 प्रश्नों के गलत होने पर, डिवीजन ने आरपीएससी को संशोधित चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया, इसे केवल अपीलकर्ताओं पर ही लागू करें।
>
> 14. हालांकि नियमों की अनुमति होने पर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दिया जा सकता है, इस न्यायालय ने अदालतों द्वारा पुनर्मूल्यांकन और प्रश्नों की जांच की प्रथा को खारिज कर दिया है, जिसमें अकादमिक मामलों में विशेषज्ञता की कमी है। उच्च न्यायालय के प्रश्नों पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की स्वयं जांच करने की अनुमति नहीं है, खासकर जब आयोग ने उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता का आकलन किया

हो। न्यायालयों को उस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के प्रति सम्मान और विचार करना होगा जिने पास मूल्यांकन करने और सिफारिशें करने की विशेषज्ञता है।

15. उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में न्यायिक समीक्षा के दायरे की जांच करते हुए, इस न्यायालय द्वारा रण विजय सिंह बनाम यूपी राज्य में, यह माना गया कि अदालत को किसी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके पास मामलों में कोई विशेषज्ञता नहीं है और अकादमिक मामलों को शिक्षाविदों के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा है। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने आगे निम्नानुसार व्यवस्था कीः

> ''31. अपनी ओर से हम यह जोड़ सकते हैं कि सहानुभूति और करुणा किसी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन को निर्देशित करने या न करने का निर्देश देने के मामले में कोई भूमिका नहीं निभाती है। यदि परीक्षा प्राधिकरण द्वारा कोई त्रुटि की जाती है, तो उम्मीदवारों का पूरा निकाय भुगतता है। पूरी परीक्षा प्रक्रिया केवल इसलिए पटरी से उतरने लायक नहीं है क्योंकि कुछ उम्मीदवार निराश या असन्तुष्ट हैं या उन्हें लगता है कि गलत प्रश्न या गलत उत्तर से उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है। सभी उम्मीदवार समान रूप से पीड़ित होते हैं, हालांकि कुछ अधिक पीड़ित हो सकते हैं लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकती क्योंकि गणितीय सटीकता हमेशा संभव नहीं होती है। इस न्यायालय ने गतिरोध से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया है–संदिग्ध या आपत्तिजनक प्रश्न को बाहर कर दें।
>
> 32. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद, जिनमें से कुछ की उपर चर्चा की जा चुकी है, परीक्षाओं के परिणाम में न्यायालयों का हस्तक्षेप है। यह परीक्षा अधिकारियों को एक अस्वीकार्य स्थिति में रखता है जहां वे जांच के दायरे में हैं न कि उम्मीदवावारों के लिए। इसके अतिरिक्त, बड़े पैमाने पर और कभी–कभी लंबे समय तक चलने वाला परीक्षा अभ्यास अनिश्चितता की हवा के साथ समाप्त होता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी में जबरदस्त प्रयास करते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए कि परीक्षा अधिकारियों ने भी परीक्षा को सफलतपूर्वक आयोजित करने के लिए उतना ही प्रयास किया है। कार्य की विशालता बाद के

चरण में कुछ चूक प्रकट कर सकती है, लेकिन अदालत को परीक्षा में सफलतपूर्वक भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों में हस्तक्षेप करने से पहले परीक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए आतंरिक जांच और संतुलन पर विचार किया करना चाहिए। परीक्षा अधिकारियों। वर्तमान अपील ऐसे हस्तक्षेप के परिणाम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां आठ साल बीत जाने के बाद भी परीक्षाओं के परिणाम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। परीक्षा अधिकारियों के अलावा, यहां तक कि उम्मीदवार भी परीक्षा के परिणाम की निश्चिचता या अन्यथा के बारे में आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वे पास हुए हैं या नहीं; क्या उनका परिणाम न्यायालय द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा; उन्हें किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा या नहीं; और उनकी भर्ती होगी या नहीं। यह असंतोषजनक स्थिति किसी के लाभ के लिए काम नहीं करती है और ऐसा अनिश्चितता की स्थिति के परिणामस्वरूप भ्रम की स्थिति बदतर हो जाता है। इन सबका समग्र और व्यापक प्रभाव यह है कि जनहित प्रभावित होता है।''

16. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून के मद्देनजर, खंडपीठ के पास सवालों की शुद्धता की जांच करने और विशेषज्ञ समिति के फैसले से अलग निष्कर्ष पर आने के लिए उत्तर कुंजी के लिए खुला नहीं था। 12.03. 2019। अपीलकर्ताओं द्वारा रिचल बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग के मामले में भरोसा किया गया था। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति की राय प्राप्त करने के बाद ही चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, लेकिन स्वयं प्रश्नों और उत्तरों की शुद्धता में प्रवेश नहीं किया। इसलिए, उक्त निर्णय इस मामले में विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक नहीं है।

17. उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालयों को शैक्षणिक मामलों में विशेषज्ञ राय में दखल देने में बहुत धीमी गति से काम करना चाहिए। किसी भी स्थिति में, सही उत्तरों पर पहुंचने के लिए स्वयं न्यायालयों द्वारा प्रश्नों का मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों को अंतिम रूप देने में देरी मुख्य रूप से अदालतों में लंबे समय से लंबित रहने के कारण हुई है। नियुक्तियों में देरी का व्यापक प्रभाव अस्थायी आधार पर नियुक्त लोगों की निरंतरता और नियमितीकरण के उनके दावों में है। सार्वजनिक पदों पर देरी से नियुक्तियों के परिणामस्वरूप होने वाला दूसरा परिणाम

पर्याप्त कर्मियों की कमी के कारण प्रशासन को होने वाली गंभीर क्षति है।''

19. यह विवादित नहीं है कि दिनांक 31.12.2021 को अपलोड की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को आयोग द्व ारा गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा गया था। उक्त समिति ने विवादित प्रश्नों और उनके संबंधित उत्तरों की जांच की, जैसा कि अन्तिम उत्तर कुंजी में दिया गया है और पाया कि 12 प्रश्न गलत हैं। आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर 12. प्रश्नों को हटाने और सभी उम्मीदवारों को समान बोनस अंक देने का निर्णय लिया।

20. यह न्यायालय इस विषय में विशेषज्ञता के अभाव में समिति का गठन करने वाले विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय के गुण–दोष पर विचार नहीं कर सकता है। अन्यथा भी, विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय और उसके अनुसार आयोग द्वारा लिया गया निर्णय सभी उम्मीदवारों के लिए होगा। याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि विशेषज्ञों की राय या आयोग द्वारा लिया गया निर्णय द्वेष या द्वेष से संक्रमित है।

21. राज्य में विभिन्न श्रेष्ठ सेवाओं के लिए चयन करने के लिए आयोग एक विशेष निकाय है। सत्ता के वास्तविक प्रयोग में आयोग द्व ारा लिए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है, जब वह मनमाना हो या कार्रवाई में निष्पक्षता के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करता हो या कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हो।

22. पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड वी. बलबीर कुमार वालिया के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक फेसले में, (2021) 8 SCC 784 में रिपोर्ट किया गया, प्रशासनिक निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा का दायरा किया गया है विचार किया और चर्चा की। उक्त निर्णय के पैरा 43 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

> 43. टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा राज के प्रशासनिक निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति की जांच की गई थी। हालांकि, यह अनुबंध देने का मामला है, लेकिन कानून के सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर राज्य के प्रशासनिक निर्णयों में उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग पर बहुत अच्छी तरह से लागू होते हैं। न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित कियाः
>
> > ''77. अदालत का कर्तव्य खुद को वैधता के सवाल तक सीमित रखना है। इसकी चिंता होनी चाहिएः
> >
> > 1. क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकरण का उल्लंघन हुआ है,
> >
> > 2. कानून की गलती की गयी,
> >
> > 3. प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया,
> >
> > 4. एक निर्णय पर पहुंचे जिस पर कोई उचित न्यायाधिकरण नहीं पहुंचा या,

5. अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।

इसलिए, यह निर्धारित करना न्यायालय का काम नहीं है कि कोई विशेष नीति या उस नीति की पूर्ति में लिया गया विशेष निर्णय उचित है या नहीं। इसका संबंध केवल उस तरीके से है जिससे वे निर्णय लिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य की सीमा अलग–अलग मामलों में अलग–अलग होगी। संक्षेप में, जिन आधारों पर एक प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रित होती है, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैः

(i) अवैधताः इसका मतलब है कि निर्णय लेने वाले को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उनके निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है।

(ii) तर्कहीनता, अर्थात वेडनेसबरी अनुचितता।

(iii) प्रक्रियात्मक अनुपयुक्तता।

उपरोक्त केवल व्यापक आधार हैं लेकिन यह समय के साथ और आधार जोड़ने से इंकार नहीं करता है। वास्तव में, आर बनाम राज्य सचिव, गृह विभाग के लिए राज्य के, एक्स पी ब्रिंड, लॉर्ड डिप्लॉक विशेष रूप से एक विकास को संदर्भित करते है, अर्थात्, आनुपातिकता के सिद्वांत की संभावित मान्यता। इन सभी मामलों में अपनाई जाने वाली कसौटी यह है कि अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है जिसके लिए उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता है'।

94. उपरोक्त से व्युत्पन्न सिद्धांत हैः

(1) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्यवाही में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है।

(2) अदालत अपील की अदालत के रूप में बैठती है, लेकिन केवल उस तरीके की समीक्षा करती है जिसमें निर्णय लिया गया था।

(3) न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णयों को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है। प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दे दी जाती है तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करना होगा, जो स्वयं गलत हो सकता है।

(4) निविदा आमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हो सकती हैं क्योंकि निविदा आमंत्रण अनुबंध के दायर में है। सामान्यतया, निविदा को स्वीकार करने या अनुबंध देने का निर्णय कई स्तरों के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अधिकतर, ऐसे निर्णय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक रूप से लिए जाते हैं।

(5) सरकार को अनुबंध की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध–प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए जोड़ों में एक निष्पक्ष खेल एक आवश्यक सहवर्ती है। हालांकि, निर्णय को

न केवल तर्कशीलता के वेडन्सबरी सिद्धान्त के अनुप्रयोग द्वारा जांचा जाना चाहिए (सहित इसके अन्य उपर बताए गए हैं) लेकिन मनमानी से मुक्त होना चाहिए जो पूर्वाग्रह से प्रभावित या दुर्भावना से सक्रिय नहीं है।

(6) रद्द करने के फैसले प्रशासन पर प्रशासनिक बोझ और बढ़ा सकते है, जो वृद्धि और अबजटीय व्यय की ओर ले जाता है।

इन सिद्धांतों के आधार पर हम इस मामले के तथ्यों की जांच करेंगे क्योंकि वे हमें सही सिद्धांत मानते हैं।''

23. प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करते समय आयोग को आपात स्थितियों से निपटने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए जोड़ों में निष्पक्ष खेल एक आवश्यक सहवर्ती है। यह न्यायालय लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों की अपील में नहीं बैठता है।

24. कुछ रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि हटाए गये 12 प्रश्नों में से केवल 6 गलत थे, इसलिए आयोग 12 प्रश्नों को हटाकर सभी उम्मीदवारों को 12 बोनस अंक नहीं दे सकता था।

25. उक्त विवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह न्यायालय इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के क्षेत्र में ज्ञान और समृद्ध अनुभव रखने वाले पेशेवर पुरुषों की राय को वरीयता देते हुए 12 प्रश्नों के संबंध में अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

26. आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को 12 बोनस अंक देने के निर्णय को चुनौती भी टिकाऊ नहीं है। लोक सेवा आयोग एक विशिष्ट निकाय है, जिसे लोक सेवाओं में चयन के लिए स्थापित किया गया है। एक चयन निकाय के रूप में, इसके कुछ निहित अधिकार हैं। यह आयोग को तय करना है कि उसे अपने मामलों का संचालन कैसे करना है और आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करना तभी न्यायसंगत होगा जब वह निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध हो या कानून का उल्लंघन करता हो।

27. विशेषज्ञ समिति ने आपत्तियों पर विचार किया और बहुत विचार विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 12 प्रश्न त्रुटिपूर्ण हैं। विशेषज्ञ समिति की राय के आधार पर, आयोग ने उन प्रश्नों को हटाने का निर्णय लिया जो सभी उम्मीदवारों को समान अंक देते थे। आयोग द्वारा लिया गया निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप है और इसे अन्यायपूर्ण या मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

28. निकाय चयन द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों में गलती के लिए, एक परीक्षार्थी को पीड़ित नहीं होना चाहिए। आयोग ने शालीनतापूर्वक अपनी गलती स्वीकार की और सभी उम्मीदवारों को 12 हटाए गए प्रश्नों के संबंध में 12 बोनस अंक देने का निर्णय लिया। चूंकि बोर्ड भर के सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए जाते हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त निर्णय को दी गई चुनौती बिना किसी पदार्थ के प्रतीत होती है।

29. हालांकि, स्थिति से निपटने के लिए आयोग के पास कार्रवाई

के कई तरीक उपलब्ध थे, जैसे। यह विशेषज्ञ समिति द्वारा त्रुटिपूर्ण पाए गए सभी 12 प्रश्नों को दूर कर सकता था और शेष 138 प्रश्नों में उनके प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन कर सकता था या आयोग ऐसे उम्मीदवारों को यथानुपात अंक दे सकता था, जिन्होंने सभी प्रश्नों में भाग लिया था। या उन हटाए गए प्रश्नों में से कोई भी, हालांकि, आयोग ने 12 हटाए गए प्रश्नों के लिए सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक देने का विकल्प चुना। आयोग द्वारा चुनी गई कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता है और न ही यह किसी कानून का उल्लंघन है। चयन निकाय के रूप में, आयोग कार्यवाही के कई तरीकों में से एक को चुनने का विवक था, और कार्रवाई के एक विशेष तरीके को चुनने का निर्णय अन्यायपूर्ण या अनुचित नहीं कहा सकता।

30. चूंकि आयोग द्वारा चुनी गई कार्रवाई न तो किसी कानून का उल्लंघन है और न ही इसे मनमाना या दुर्भावनापूर्ण कहा जा सकता है, इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

31. पूरी चयन प्रक्रिया को केवल इसलिए पटरी से नहीं उतारा जा सकता है क्योंकि कुछ उम्मीदवार निराश हैं या उन्हें लगता है कि आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली किसी विशेष कार्रवाई के कारण उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है।

32. कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने किसी भी हटाए गए प्रश्नों का प्रयास नहीं किया है, वे किसी भी बोनस अंक के हकदार नहीं हैं और बोनस अंक केवल ऐसे उम्मीदवारों को दिए जा सकते हैं, जिन्होंने किसी एक या सभी प्रश्नों का प्रयास किया था। वे प्रश्न, उनके द्वारा किए गए प्रश्नों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यह सबमिशन इस धारणा पर आधारित हैं कि हटाए गए प्रश्नों का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को सही उत्तर पता था और वे उन उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी थे, जिन्होंने हटाए गए प्रश्नों में से एक या सभी प्रश्नों का प्रयास नहीं किया था।

33. यह निवदेन पहले ब्लश में आकर्षक प्रतीत होता है, हालांकि, गहन जांच पर, यह बिना किसी पदार्थ के है। यह वैध प्रतिवाद हो सकता है कि उम्मीदवार, जिन्होंने हटाये गये प्रश्नों के चार विकल्पों में से एक को उत्तर के रूप में चिह्नित करने का प्रयास किया, उन्हें विषय का कोई ज्ञान नहीं था और उन्होंने केवल एक विकल्प को चिन्हित करके एक मौका लिया; जबकि, मेधावी उम्मीदवार, जो जानते थे कि प्रश्न त्रुटिपूर्ण हैं, उन 12 गलत प्रश्नों के संबंध में किसी भी विकल्प को चिह्नित करने से बचते हैं, जिन्हें हटा दिया गया था, इसलिए, हटाए गए प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न को हल नहीं करने वाले उम्मीदवार केवल बोनस अंकों के हकदार थे, जैसा कि वे जानते थे कि किसी भी विकल्प ने सही उत्तर नहीं दिया।

34. अन्यथा भी, उम्मीदवारों की बहुत बड़ी संख्या के संबंध में, उन उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की भौतिक जांच करना बहुत मुश्किल, बल्कि असंभव होगा, जिन्होंने हटाए गए 12 प्रश्नों में से सभी या किसी एक का प्रयास किया था। चयन निकाय

के रूप में आयोग ने अपने विवेक से कार्रवाई का एक विशेष तरीका चुना, कई में से। जब तक उक्त कार्रवाई कानूनी के उल्लंघन या मनमानी साबित नहीं होती है, तब तक यह न्यायालय में आयोग द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

35. उपरोक्त कारणों से, कुछ याचिकाओं में याचिकाकताओं की ओर से उठाया गया यह तर्क कि आयोग को हटाए गए 12 प्रश्नों के लिए यथानुपात अंक देना चाहिए था, भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

36. भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है, इस प्रकार यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक विशेष निकाय के रूप में, यह अपने मामलों के संचालन के तरीके ओर साधन तैयार कर सकता है। एक चयन निकाय के रूप में आयोग के पास कुछ हद तक विवेकाधिकार उपलब्ध है। ऐसे विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप केवल तभी अनुमन्य होगा जब वह निर्धारित के विपरीत हो डाउन नार्म्स या तर्कहीन है। आयोग द्वारा लिया गया आक्षेपित निर्णय मनमाना या तर्कहीन नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, आयोग के पास अन्य विकल्प भी उपलब्ध थे, हालांकि, यह आयोग को तय करना है कि वह कई विकल्पों में से किसे चुनता है। प्रत्येक वैधानिक प्राधिकरण या एक चयन निकाय को जोड़ों में खेलने का अधिकार है ताकि वह अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायर बहुत सीमित है और इन रिट याचिकाओं में आयोग द्वारा लिए गए निर्णय में किसी वैध आधार के अभाव में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

37. उपरोक्त कारणें से, यह न्यायालय चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता है।

38. तदनुसार, रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और निरस्त।

(मनोज कुमार तिवारी, जे0)

निर्णय का हिन्दी अनुवाद द्वारा

सिद्धार्थ कुमार,
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामनगर नैनीताल